आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति अपील वाद सं0-17/2022

शशि रंजन कुमार.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य.....विपक्षीगण

आदेश

23.06.2023

प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10562/2020 में दिनांक 11.01.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".....This application is accordingly disposed of with the liberty as sought for. It goes without saying that if the petitioner makes an application within three weeks from today before the competent authority, the competent authority shall dispose of the same expeditiously."

वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि गोपालगंज जिला में सदर अनुमंडल गोपालगंज एवं हथुआ अनुमंडल के अन्तर्गत **बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के प्रावधानों के तहत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण समाचार पत्रों में पी0आर0 नं0-12644/समाहरणालय 2018-19 द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। जिसके आलोक में अपीलकर्त्ता शशि रंजन कुमार, पिता-आलोक प्रसाद, ग्राम-बरौली, वार्ड सं0-10, जिला-गोपालगंज एवं विपक्षी संख्या-05 के अलावा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा रोस्टर बिन्दु 80 के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में दिनांक 29.12.2020 को सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों के चयन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति (आपूर्ति) की बैठक में विपक्षी सं0-05 श्रीमती उषा देवी, पति श्री उपेन्द्र यादव, ग्राम+थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज का अनुमोदन किया गया। उक्त अनुमोदन के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा विपक्षी सं0-05 के शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न उठाते हुए इस आशय का आपत्ति दिया गया कि क्रमांक 01 की आवेदिका उषा देवी का सूची में मैट्रिक का प्राप्तांक नहीं दिखाया गया है, जबकि अपीलकर्त्ता द्वारा आवेदन के समय स्नातक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया है। उक्त आपत्ति पर सुनवाई करते हुए दिनांक 13.01.2020 को अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा स्नातकोत्तर का दो-दो अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है, एक NALANDA OPEN UNIVERSITY का तथा दुसरा William Carey University, Meghalaya का जो एक ही सत्र 2015-16 का है। इसके अतिरिक्त अपीलकर्त्ता के मूल आवेदन से स्पष्ट होता है कि वे स्नातक ही है।

उक्त से असंतुष्ट होकर वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-10562/2020, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 11.01.2022 को पारित

आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। विपक्षी का लिखित जवाब अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं को संक्षिप्त रूप में रखते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा तैयार मेधा सूची एवं विपक्षी संख्या–05 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति दिए जाने को इस आधार पर दोषपूर्ण बताया कि विपक्षी संख्या–05 की तुलना में अपीलकर्त्ता अधिक योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि चयन समिति द्वारा अपीलकर्त्ता के स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया गया है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि यदि चयन समिति को उनके किसी प्रमाण–पत्र पर शंका थी तो उनकी जाँच करा ली जानी चाहिए थी अथवा उक्त प्रमाण पत्रों को छोड़कर शेष प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि विपक्षी संख्या–05 के पक्ष में पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की अनुशंसा करने के पूर्व चयन समिति द्वारा **बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 9(v)** में उल्लेखित प्रावधान, जो उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु अभ्यर्थी की योग्यता से संबंधित है, पर समुचित विचार नहीं किया गया है।

उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि विपक्षी सं0–05 के पक्ष में निर्गत पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत वाद को स्वीकृत किया जाए।

विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का लिखित पक्ष है कि प्रस्तुत अपीलवाद वैधानिक फोरम (Statutory Forum) को नजरअंदाज करने तथा निर्धारित अवधि (Stipulated period) के पश्चात अपीलवाद तैयार करने के आधार पर खारिज होने योग्य है। उनका आगे कथन है कि वार्ड सं0–10, रोस्टर बिन्दु–80 के विषय में दावा/आपत्ति की सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट किया गया हैं कि अपीलकर्त्ता द्वारा दो अलग–अलग विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर का एक ही सत्र का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो संदिग्ध है, ऐसे में अपीलकर्त्ता को स्नातकोत्तर का लाभ न देकर स्नातक के आधार पर मेधा सूची में स्थान दिया गया है। इसी क्रम में अंकित हैं कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा **बिहार लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** के प्रावधानों के आलोक में अधिक योग्य पाए जाने के आधार पर ही विपक्षी सं0–05 का चयन किया गया है। अंत में उनका पक्ष है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश त्रुटिरहित है, अतएव उसे यथावत रखा जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि नगर पंचायत, बरौली, वार्ड नं0–10, प्रखंड–बरौली के रोस्टर बिन्दु 80, जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है पर चयन हेतु अपीलकर्त्ता, विपक्षी सं0–05 के साथ ही अन्य अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए। इस क्रम में प्राप्त आवेदनों के दावा आपत्ति के निष्पादन के पश्चात अंतिम वरीयता सूची में विपक्षी श्रीमती उषा देवी, पति–उपेन्द्र यादव को प्रथम स्थान पर तथा वर्तमान अपीलकर्त्ता शशि

रंजन कुमार को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। वरीयता सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों अभ्यर्थी समान कम्प्यूटर योग्यता DCA की डिग्री रखते है तथा स्नातक है। ऐसे में **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** के आलोक में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी के चयन का अनुमोदन किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंत में कहा गया कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश विभागीय प्रावधानों के अनुकूल प्रतीत होता है, अतएव उसे यथावत रखा जा सकता है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा विपक्षी सं0-05 के लिखित अभिकथन तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि **"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016'** के आलोक में अपीलकर्त्ता को अपने अनुतोष की प्राप्ति हेतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष अपील दायर करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय तथा इस स्तर पर अपील दायर करने के समय उक्त प्रावधान ही प्रभावी था। वर्तमान में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करने की प्रक्रिया में **'बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2022'** द्वारा कतिपय संशोधन होने के कारण अपीलकर्त्ता के समक्ष वह अवसर अब उपलब्ध नहीं है। उक्त के आलोक में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देते हुए अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर सुनवाई किया गया है।

अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी दोनों ही स्नातक है तथा समान कम्प्यूटर योग्यता (D.C.A.) रखते है। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 9(v)** में स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अभिलेख पर उपलब्ध अंतिम वरीयता सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता शशि रंजन कुमार की जन्म तिथि 26.05.1990 तथा विपक्षी उषा देवी की जन्म तिथि 10.01.1989 है। विचारणीय बिन्दु यह है कि वरीयता सूची के निर्माण हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर प्रमाण.पत्र की वैधता है अथवा नहीं। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा इस बिन्दु पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए पाया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र एक ही अवधि (2015-16) के है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया हैं जिससे कि अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र की वैधता साबित हो सके। इस स्तर पर भी सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र को वैध माना जा सके।

वही दूसरी ओर अन्य बातों के अलावा अपीलकर्त्ता द्वारा अपने याचिका में अपील की पृष्टभूमि के कंडिका-(iv) में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है कि;

"...It is inevitable to mention here that if the committee had come in doubt regarding any certificate they either inquired about it or after ignoring the same considered the

rest document available before them."

उपर्युक्त पर सावधानीपूर्वक विचार से यह स्पष्ट होता है कि समक्ष प्राधिकार के समक्ष पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत कागजातों (स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र) के विषय में अपीलकर्त्ता न केवल आवश्वस्त है बल्कि यह साबित भी करते है कि वे कागजात (स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र) वैध नहीं है। अपीलकर्त्ता के कथन के आलोक में ही जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्रों को अवैध मानकर उनके दावे को खारिज करते हुए विपक्षी के पक्ष में फैसला दिया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पारित आदेश जो जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-955/आ0, दिनांक 30.12.2020 द्वारा संसूचित है, में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।